संख्या : 1790/XI/13/56(21)/2011

प्रेषक,

विनोद फोनिया
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

आयुक्त
ग्राम्य विकास विभाग
पौड़ी।

ग्राम्य विकास अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 11 जून, 2013

विषय : आईफैड सहायतित आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) के सहयोग से उत्तराखण्ड हिमालयी आजीविका सुधार परियोजना के सफल संचालन को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना के द्वितीय चरण के रुप में समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) के नाम से प्रारम्भ की गई है। यह परियोजना वर्ष 2012–13 से वर्ष 2018–19 (7 वर्ष) तक संचालित की जानी है।

इस योजना के प्रथम चरण में "उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति" एवं "उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी (उपासक)" हेतु सृजित कुल 144 पदों को द्वितीय चरण में भी उक्त इकाईयों हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या : 1790/XI/13/56(21)/2011, तद्‌दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदय के संज्ञानार्थ।
4. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी (उपासक), बसन्त विहार, देहरादून।
5. सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी (उपासक), बसन्त विहार, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–4, वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद फोनिया)
सचिव